भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2248

जिसका उत्तर सोमवार, 9 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

अनधिकृत ऋण ऐप्स के माध्यम से शोषण

2248. श्रीमति साजदा अहमद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटपाफार्मों की बढ़ती संख्या और इन प्लेटफार्मों के माध्यम से व्यक्तियों के शोषण से अवगत है;

(ख) सरकार द्वारा डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्मों को विनियमित करने और अनधिकृत ऋण ऐप के प्रचालन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार की डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्मों की निगरानी करने लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा स्थापित करने की कोई योजना है; और

(घ) सरकार द्वारा नागरिकों को अनधिकृत ऋण ऐप्स के माध्यम से किए जा रहे शोषण से बचाने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क)और (ख): सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और अन्य संबंधित विनियामकों/हितधारकों से निरंतर संपर्क में है ताकि अप्राधिकृत ऋण ऐप्स पर नियंत्रण रख सके। आरबीआई ने दिनांक 02.09.2022 के परिपत्र के माध्यम से डिजिटल उधार पर विनियामकीय दिशानिर्देश जारी किए जिसका उद्देश्य ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाना और डिजिटल उधार तंत्र को सुरक्षित और मजबूत बनाना है। इन दिशानिर्देशों में विनियामकीय संस्थाओं(आरई) और उनके एजेंट जो आरई के साथ आउटसॉर्सिंग व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत है, के लिए वसूली, डेटा की गोपनीयता और ग्राहक शिकायत निवारण उपाय के संबंध में विस्तृत प्रावधान भी है। इन दिशानिर्देशों में विनियामकीय संस्थाओं अर्थात् बैंकों/एनबीएफसी को यह सुनिश्चित

करने के लिए अधिदेशित किया गया है कि उनके द्वारा रखे गए उधार सेवा प्रदाता (एलएसपी) और डिजिटल लेंडिंग ऐप (डीएलए) उसमें निहित दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा।

(ग) उधार क्षेत्र सहित फिन टेक क्षेत्र में स्व-विनियमन को प्रोत्साहन देने के लिए आरबीआई ने दिनांक 30.05.2024 को "फिनटेक क्षेत्र में स्व-विनियामकीय संगठनों की "अवसंरचना" (एसआरओ-एफटी अवसंरचना) जारी किया और एसआरओ-एफटी के रूप में मान्यता के लिए आवेदन आमंत्रित किए। फिनटेक एसोसिएशन फॉर कन्स्यूमर एम्पॉवरमेंट (फेस) आरबीआई द्वारा दिनांक 28.10.2024 को मान्यता प्राप्त पहला एसआरओ-एफटी है।

(घ) नागरिकों को अप्राधिकृत ऋण ऐप द्वारा किए जानेवाले शोषण से बचाने के लिए सरकार और आरबीआई समय समय पर विभिन्न पहल कर रहे हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

(i) अप्राधिकृत ऋण ऐप के परिचालन की समीक्षा करने के लिए मुख्य इंटरनेट मध्यवर्तियों और मैसेजिंग प्लेटफार्म के साथ सक्रिय संपर्क रखना।

(ii) भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), गृह मंत्रालय (एमएचए) डिजिटल लेंडिंग ऐप का सक्रिय रूप से विश्लेषण कर रहा है। अवैध ऋण ऐप सहित साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर "1930" का शुभारंभ किया है।

(iii) 'साइबर अपराध' की रोकथाम पर लघु एसएमएस, रेडियो अभियान, प्रचार के माध्यम से आरबीआई और बैंक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आरबीआई इलेक्ट्रॉनिक-बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रम जो धोखाधड़ी और जोखिम निवारण के बारे में जागरूकता पर केंद्रित है, आयोजित करता रहा है।

*****